न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 51/15 (225 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00048

उनवान

1. सीमा पत्नी उमेश पुत्री जगदीश } जाति ब्राहम्ण नि0 नगला चिम्मन तह0 बयाना हाल नि0
2. रजनी पत्नी महेश पुत्री जगदीश } सौनोटी तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र बसन्ता आयु 55 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नगला चिम्मन तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 07.12.2015 प्र0स0 165/15 उनवान सीमा बनाम जगदीश।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 06.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 07.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नगला चिम्मन तहसील बयाना अप्रार्थी रैस्पो0 को उनके पिता व प्रार्थी अपीलाण्ट के बाबा बसंता से प्राप्त हुयी है, जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक आराजी है। इस प्रकार प्रार्थी अपीलाण्ट का विवादित आराजी में जन्म से ही खातेदारी अधिकार हैं। परन्तु राजस्व अभिलेख में समस्त विवादित आराजी के इंद्राज अप्रार्थी रैस्पो0 के नाम हो रहे हैं। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर अप्रार्थी रैस्पो0, प्रार्थी अपीलाण्ट की काश्त में व्यवधान पैदा करने लग गये हैं एवं प्रार्थी अपीलाण्ट को जबरन बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहाराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। जिसका रिकार्ड अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय में दावा विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय का अंतरिम स्थगन खारिज होने के तुरंत बाद दान पत्र करा दिया। जिससे रैस्पो0 की मंशा स्पष्ट हो जाती है। आगे भी विवादित आराजी खुर्द–बुर्द हो सकती है। वसीयत/दान पत्र से आयी आराजी का निर्धारण अभी मूल दावा में तय होना शेष है। प्रकरण में मुंतकिली प्रार्थना पत्र भी अपीलाण्ट ने दिया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। बेटी, बेटी ही रहेगी। कानूनन हक हट नहीं सकता है, चाहे कोई सेवा करें। इस प्रकार विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु स्थगन उचित ही है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं बचती है। यह है कि अपीलाण्ट ने पैत्रिक भूमि के आधार पर दावा किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी को पैत्रिक साबित करने में सफल नहीं हुये एवं प्रार्थना पत्र खारिज हो गया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 48 लगायत 56, 69 लगायत 75, 81 लगायत 83 एंव खसरा नम्बर 39 लगायत 41, 44, 58, 59, 65, 66 पैत्रिक आराजी नहीं है। बल्कि उक्त आराजी रैस्पो0 को सम्पत से जरिये रजिस्टर्ड वसीयत प्राप्त हुयी है। उक्त आराजी को जगदीश ने अपने भाई छीतरमल को दान कर दिया। अपीलाण्ट के विवाह के बाद जगदीश की सेवा भाई छीतरमल ही कर रहा है। इस प्रकार स्वः अर्जित भूमि पर स्थगन दिया जाना उचित नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 29 ए में बेटी को बेटे की तरह व्यवहार/सेवा करनी पडेगी तभी वह कोपार्सनर सम्पत्ति में हिस्सा ले सकती है। रैस्पो0 ने पैत्रिक आराजी पर से स्थगन हटाने की मॉग नहीं की है केवल स्वःअर्जित सम्पत्ति को स्थगन से मुक्त किया जाकर, अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 2017 पेज 286, 2017पेज 732, 2010(2) पेज 1392, 2009(1) पेज 162, 1997 पेज 90, 2013(2) पेज 1108, 2018 पेज 565, 2009(1) पेज 391 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह सही है कि विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रैस्पो0 हैं। परन्तु अपीलाण्ट रैस्पो0 की पुत्री हैं एवं यह भी सही है कि विधि अनुसार पुत्रियों को पैत्रिक सम्पत्ति में पुत्रो के समान खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट विवादित आराजी को पैत्रिक सम्पत्ति बताते हुये, विवादित आराजी में अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा करती हैं। रैस्पो0 इसका खण्डन करते हुये, विवादित आराजी खसरा नम्बर 48 लगायत 56, 69 लगायत 75, 81 लगायत 83 एंव खसरा नम्बर 39 लगायत 41, 44, 58, 59, 65, 66 को पैत्रिक आराजी नहीं होना एवं उक्त आराजी को सम्पत से जरिये

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रजिस्टर्ड वसीयत प्राप्त होना बताते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 133 दिनांक 11.04.1975 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी में से कुछ खसरा नम्बर रैस्पो0 को जरिये वसीयत प्राप्त हुये हैं एवं अपीलाण्ट ने ना तो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि सम्पत उनका पूर्वज हो एवं ना ही सम्पत को अपने सजरा में ही दर्शाया है। अतः प्रथम दृष्टया रैस्पो0 के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। परन्तु रैस्पो0 ने वसीयत से प्राप्त विवादित आराजी का मिलान क्षेत्रफल ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही अपील के साथ ही प्रस्तुत किया है। जिससे वसीयत से प्राप्त आराजी के नम्बरो का मिलान हो सके। अतः बिना मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किये रैस्पो0 लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी विवादित आराजी कुछ खसरा नम्बरो को वसीयत से प्राप्त होना स्वीकार किया है। परन्तु उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह विवेचना नहीं की गयी है, कौनसे विवादित खसरा नम्बर वसीयत से प्राप्त हुये एवं कौनसे खसरा नम्बर बसन्ता से रैस्पो0 को जरिये विरासतन प्राप्त हुये हैं। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट, रैस्पो0 की पुत्री हैं एवं पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सवंत 2042 में विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 19, 18 मिन, 23 मिन, 26 मिन बसन्ता की खातेदारी में दर्ज है जो रैस्पो0 के पिता हैं। अतः विधि अनुसार पैत्रिक आराजी में अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं एवं पैत्रिक आराजी पर स्थगन प्राप्त करने की अधिकारी होती हैं। इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पैत्रिक आराजी एवं स्वःअर्जित आराजी की स्पष्ट विवेचना नहीं की गयी है। पत्रावली पर मिलान क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलीय स्तर पर भी इसकी विवेचना किया जाना संभव नहीं हो रहा है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के लिये उक्त तथ्य की विवेचना हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु विवश हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.12.2015 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है, तब तक उभयपक्षकारान विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता हैं कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.08.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर